172

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1822-तीन/2003 - विरूद्ध आदेश दिनांक 24-1-1997 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण कमांक 56 बी-121/1986-87 निगरानी

सुन्दरलाल गुप्ता (फोत)पुत्र रामविशाल गुप्ता
वारिस
अ- प्रेमलाल पुत्र स्व.सुन्दरलाल गुप्ता
ब- छोटेलाल पुत्र स्व. सुन्दरलाल गुप्ता
निवासी ग्राम अमरपाटन तहसील अमरपाटन
जिला सतना मध्य प्रदेश
स- श्रीमती मीना पत्नि नारेन्द्र गुप्ता
पुत्री स्व. सुन्दरलाल गुप्ता निवासी
चूना भटटा समान नाका रीवा जिला रीवा
द- श्रीमती सुनीता पत्नि ओमप्रकाश गुप्ता
पुत्री स्व. सुन्दरलाल गुप्ता निवासी
उपरहटी रीवा जिला रीवा ——आवेदकगण

विरूद्ध

1- म0प्र0शासन
2- लल्लन चन्द्र पुत्र जिबड़दास जैन
ग्राम अमरपाटन तहसील अमरपाटन
3- मो. उमर (फोत) पुत्र इसहाक
वारिस (जानकारी नहीं दी गई है) ——अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक क-1 के पैनल लायर)
(अनावेदक क-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित-एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 27-10-2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्र0क0 56 बी-121/1986-87 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-1-97 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि स्वर्गीय सुन्दरलाल गुप्ता ने अपने जीवनकाल में नायव तहसीलदार अमरपाटन को आवेदन दिनांक 30-10-1975 प्रस्तुत कर मांग की कि कस्वा अमरपाटन स्थित भूमि सर्वे नंबर 128/2 रकबा 0.10 एकड़ का उसे संबत 2002 में अर्थात सन् 1945 में नायव तहसीलदार रधुराजनगर ने पटटा दिया था, किन्तु पटटे का अमल नहीं हो पाया, इसलिये अमल किया जाय। नायव तहसीलदार ने प्रकरण दर्ज करके आदेश पारित किया तथा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर ने आदेश दिनांक 22-1-79 से निगरानी स्वीकार कर ली। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त रीवा संभाग ने आदेश दिनांक 20-11-812 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर दिये तथा प्रकरण जॉच एंव सुनवाई करके पुनः आदेश पारित करने हेतु तहसीलदार अमरपाटन को प्रत्यावर्तित किया। तहसीलदार अमर पाटन ने प्रकरण कमांक 9 बी 121/1975-76 में पारित आदेश दिनांक 28-8-85 से आवेदक का आवेदन अस्वीकृत कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर सतना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर कलेक्टर सतना ने प्रकरण कमांक 1 बी-121/1985-86 में पारित आदेश दिनांक 25-11-86 से निगरानी निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के समक्ष निगरानी प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्र0क0 56 बी-121/1986-87 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-1-97 से निगरानी निरस्त कर दी। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदक एंव अनावेदक कमांक-1 के अभिभाषक के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक कमांक-2 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है। अनावेदक कमांक-2 को भेजा गया सूचना पत्र दिनांक 11-5-2010 को यह लिखकर वापिस प्राप्त हुआ है -

" मो0उमर का निधन लगभग 8 वर्ष पूर्व हो चुका है जिसकी सूचना भी दी जा चुका है। "

उपरोक्तानुसार टीप सहित सूचना पत्र वापिसी के बावजूद एंव 11-5-10 को व्यतीत हुये 7 वर्ष से अधिक समय होने के वाद भी आवेदकगण की ओर से मृतक के वारिसान के सॅशोधन का आवेदन नहीं दिये जाने के कारण प्रकरण मृतक के हित तक Avate है एंव प्रचलन योग्य नहीं है।

4/ न्यायदान की दृष्टि से यदि प्रकरण में गुणदोष पर विचार किया जाय - प्रथम दृष्टया पाया जाता है कि स्वर्गीय सुन्दरलाल की ओर से अपने जीवनकाल में कस्वा अमरपाटन स्थित भूमि सर्वे नंबर 128/2 रकबा 0.10 एकड़ का संबत 2002 में अर्थात सन् 1945 में नायव तहसीलदार रघुराजनगर से पट्टा मिलने के आधार पर आवेदन दिनांक 30-10-75 प्रस्तुत करके शासकीय अभिलेख में पट्टे के अमल की मांग की गई है अर्थात यह मॉग 30 वर्ष के अंतराल में की गई है तथा पट्टा जारी होने के उपरांत भी 30 वर्षो तक भूमि शासकीय दर्ज चली आने के कारण क्या 30 वर्ष वाद पट्टे का अमल किया जा सकता है जबकि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109 में इस प्रकार व्यवस्था है :-

धारा 109 - अधिकारों के अर्जन की रिपोर्ट की जाएगी -

(1) - कोई भी व्यक्ति, जो भूमि में कोई अधिकार या हित विधिपूर्वक अर्जित करता है, अपने द्वारा ऐसा अधिकार अर्जित किये जाने की रिपोर्ट ऐसे अर्जन की तारीख से छह मास के भीतर पटवारी को मौखिक रूप से या लिखित में करेगा।

(2) - कोई भी ऐसा व्यक्ति, जो कि उपधारा (1) में निर्दिष्ट किया गया है अपने द्वारा ऐसे अधिकारों के अर्जन की लिखित रिपोर्ट , ऐसे अर्जन की तारीलख से छह मास के भीतर तहसीलदार को भी कर सकेगा।

30 वर्ष वाद पट्टे के अमल की मांग पर उक्त कारणों से विचार नहीं किया गया है।

5/ तहसीलदार अमर पाटन द्वारा प्रकरण कमांक 9 बी 121/1975-76

में पारित आदेश दिनांक 28-8-85 के 3 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि यह सही है कि नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 260/44-45 में पारित आदेश दिनांक 13-9-44 को आवेदक को सर्वे नंबर 128 के रकबा 0.10 एकड़ का पट्टा दिया हो किन्तु बंदोवस्त खतौनी के इन्द्राज अनुसार डिप्टी कमिश्नर (तत्कालीन पद कलेक्टर) के प्रकरण कमांक 2256 में पारित आदेश दिनांक 6-12-1951 से पट्टा निरस्त हुआ है और जब पट्टा अस्तित्व में नहीं है तब उसके अमल का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

6/ तहसीलदार अमर पाटन के आदेश दिनांक 28-5-85 के पद 4 में कस्वा अमरपाटन स्थित भूमि सर्वे नंबर 128 के सम्बन्ध में वर्ष 1985 तक हालातों की स्थिति इस प्रकार विवेचित की गई है :-

" ख.नं. 128 का कुल रकबा 10.16 है. जिसके वर्तमान में 9 भाग हो चुके हैं। जब पट्टे हुये हों उस समय यह ख.नं. संपूर्ण एक था। वर्तमान में नेशनल हाईवे से रामनगर रोड को जोड़ने के कारण यह ख.नं. दो भाग में बट चुका है। खसरे में 128/1 क रकबा 3.87 एकड़ आबादी चेक, 128/1 ख रकबा 0.50 मिट्टी हेतु सुरक्षित , 128/1 ग रकबा 0.55 विटनरी अस्ताल तथा 128/1 घ रकबा 0.94 सडक़ रामनगर है जो सभी सड़क के दक्षिण ओर है 128/1 च रकबा 0.15 पंचायत भवन, 128 /1 छ रकबा 0.06 जंगल चोकी, 128/2 रकबा 4.04 पुलिस विभाग 128/3 रकबा 0.05 लधुआ मेहतर तथा 128/34 रकबा 0.10 मुनिया बल्द विहारी बसोर के नाम पर है। पंचायत भवन एंव जंगल चौकी सड़क के उत्तर में है, 128/2 पुलिस विभाग सड़क के दोनों ओर है, 128/1 ख के स्थान पर पानी टंकी न जलकल विभाग का स्टोर क्वाटर है। आवेदक जो स्थान अपना बताता है वह नगरपालिका के उपयोग में है। "

उपरोक्त से स्पष्ट है कि जब विचाराधीन भूमि उपरोक्तानुसार आरक्षित एंव आवंटित हुई, संबत 2002 अर्थात सन 1945 से वर्ष 1975 तक आवेदक चुप क्यों बैठा रहा, समाधान नहीं कराया गया। आवेदक ने स्वयं की भूमि होने के आधार पर उपरोक्तानुसार आरक्षण एंव आवंटन के विरुद्ध सक्षम न्यायालय में

अपील/ निगरानी क्यों नहीं की ? समाधान नहीं कराया गया है एंव प्रशासन द्वारा दिये गये उपरोक्तानुसार आरक्षण एंव आवंटन के आदेश अपील/ निगरानी के अभाव में अंतिम हो जाने से भी आवेदक के आवेदन पर इतनी लम्बी अवधि वाद विचार करने का औचित्य नहीं है क्योंकि वाद विचारित भूमि का आवेदक को दिया गया पट्टा तत्का. डिप्टी कमिश्नर (तत्कालीन पद कलेक्टर) के प्रकरण कमांक 2256 में पारित आदेश दिनांक 6-12-1951 से निरस्त होने का तथ्य आया है, जिसके कारण तहसीलदार अमर पाटन द्वारा प्रकरण कमांक 9 बी 121/1975-76 में पारित आदेश दिनांक 28-8-85 में निकाले गये निष्कर्ष एंव अपर कलेक्टर सतना द्वारा आदेश दिनांक 25-11-86 में निकाले गये निष्कर्षो को अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है जिसमें किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्र0क0 56 बी-121/1986-87 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 24-1-97 उचित होने से निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर